कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)
तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014
संख्या व.सं./15/2022-726

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०व०से०
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक– 03/08/2022

विषय – गया जिलान्तर्गत गंगा जल उद्वह योजना के तहत गया एवं बोधगया शहर में पेयजल आपूर्ति के लिये पाईप लाईन बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 2.1109 हे० वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक गया जिलान्तर्गत गंगा जल उद्वह योजना के तहत गया एवं बोधगया शहर में पेयजल आपूर्ति के लिये पाईप लाईन बिछाने के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 2.1109 हे० वन भूमि अपयोजन हेतु कार्यपालक अभियन्ता, तिलैया नहर प्रमंडल, वजीरगंज (गया) का प्रस्ताव वन संरक्षक, गया अंचल, गया के माध्यम से जाँचोपरान्त प्राप्त हुआ है।

2. विषयांकित परियोजना में अपयोजित होने वाले भूमि, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 400 दिनांक 31.12.1996 द्वारा **"सुरक्षित वन " के रूप में अधिसूचित है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।** गया जिलान्तर्गत गंगा जल उद्वह योजना के तहत गया एवं बोधगया शहर में पेयजल आपूर्ति के लिये प्रस्तावित पाईप लाईन का रेखांकण उक्त अधिसूचित सुरक्षित वन भूमि से होकर गुजरेगा। परियोजना का निर्माण राज्य के गया वन प्रमंडलों के अन्तर्गत होना है जिनमें अपयोजित होने वाली वन भूमि एवं उनमें पड़ने वाले वृक्षों की संख्या निम्नलिखित है–

क्रम सं०	वन प्रमंडल का नाम	क्षेत्रफल (हे० में)	वन भूमि में स्थित वृक्षों/पौधों की संख्या	
			पुर्नस्थापन हेतु प्रस्तावित वृक्षों/पौधों की संख्या	पातन के लिये प्रस्तावित वृक्षों/पौधों की संख्या
1	गया	2.1109	17	4
	कुल	**2.1109**	**17**	**4**

3. विषयाधीन परियोजना में 2.1109 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के क्रम में 17 वृक्षों का पुर्नस्थापन साथ ही साथ ताड़ एवं अन्य प्रजाति के 4 वृक्षों का पातन वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया एवं वन संरक्षक, गया द्वारा प्रस्तावित किया गया है।

4. परियोजना निर्माण से संबंधित रूट चार्ट को दर्शाते हुए मूल टोपो शीट एवं अपयोजित होने वाली वन भूमि का Geo-referenced नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया हैं जो वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित है।

5. वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में वनों का वानस्पतिक घनत्व 0 एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं करने से संबंधित सूचना अंकित किया गया है। प्रस्तावित पाईप लाईन का मार्गरेखन गौतम बुद्धा वन्यप्राणी आश्रयणी से बाहर है।

6. परियोजना निर्माण में गया जिलान्तर्गत अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये FRA, 2006 का प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है। सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के अनुपालन के साथ गया जिलान्तर्गत अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये FRA, 2006 प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जायेगा।

7. परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 2.1109 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने 4.2218 हे० अर्थात् 5.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि को वन प्रमंडल, गया के गया प्रक्षेत्र अन्तर्गत डुंगेश्वरी सुरक्षित वन PF को चिन्हित किया गया है। वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिये उपर्युक्त है, से संबंधित प्रमाण पत्र के साथ प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया द्वारा समर्पित किया गया है एवं क्षतिपूरक वनीकरण के लिये चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा तैयार कराया गया है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

8. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है–

(1) भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।

(2) 2.1109 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 9.57780 लाख प्रति हे० के दर से रू० 20,21,778/– (रूपये बीस लाख इक्कीस हजार सात सौ अठ्ठतर) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

(3) अपयोजित होने वाली 2.1109 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये गया वन प्रमंडलन्तर्गत 5.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि डुंगेश्वरी सुरक्षित वन PF में चिन्हित करते हुए रू० 20,03,115/– मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जाएगी।

(4) वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1272/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न कर भेजी जा रही है। उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– व.सं./15/2022- 726 दिनांक 03/08/2022

प्रतिलिपि – कार्यपालक अभियन्ता, तिलैया नहर प्रमंडल, वजीरगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि जिला पदाधिकारी, गया द्वारा निर्गत FRA, 2006 का मूल प्रमाण पत्र वन संरक्षक, गया अंचल, गया के माध्यम से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

3/8/22

(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

गया जिलान्तर्गत गंगा जल उद्वह योजना के तहत गया एवं बोधगया शहर में पेयजल आपूर्ति के लिये पाईप लाईन बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 2.1109 हे. वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव का चेक लिस्ट–

क्र० सं०	विवरणी	अभ्युक्ति
1	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–I	संलग्न।
2	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी Undertaking	संलग्न।
3	प्रयोक्ता एजेंसी एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरित टोपोशीट नक्शा	संलग्न।
4	प्रयोक्ता एजेंसी एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरित Geo-referenced नक्शा	संलग्न।
5	जिला पदाधिकारी, गया द्वारा निर्गत FRA 2006 प्रमाण–पत्र	संलग्न।
6	वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–II	संलग्न।
7	परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि की गणना विवरणी।	संलग्न।
8	वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया का स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन	संलग्न।
9	वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया द्वारा उपलब्ध कराए गये वृक्षों की गणना सूची	संलग्न।
10	गया वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया गया क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन	संलग्न।
11	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा	संलग्न।
12	वन संरक्षक, गया द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–III	संलग्न।
13	वन संरक्षक, गया का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन	संलग्न।
14	नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–IV	संलग्न।

3/8/22

(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण)
बिहार, पटना।

फोन न०–08986153145

ई–मेल apccfcampa.bih@gmail.com